

माँ महामाया सहकारी शक्कर कारखाना मर्यादित्, अम्बिकापुर ग्राम-केरता
जिला-सूरजपुर (छ.ग.)

पंजीयन क्रमांक-डी.आर./अम्बिकापुर/2121 दिनांक: 15.10.2006

प्रेसमङ्ग ट्रेक्टर द्वारा ढुलाई हेतु ई-निविदा प्रपत्र वर्ष 2021-22

प्रेसमङ्ग को ट्रेक्टर द्वारा हेण्डलिंग कार्य हेतु ई-निविदा की नियम एवं शर्तें



कारखाना स्थल : ग्राम-केरता, तहसील - प्रतापपुर,
जिला - सूरजपुर (छ0ग0)

ठेकेदार का नाम व पता



दिनांक

.....
.....
.....

निविदा फार्म जारीकर्ता के हस्ताक्षर
Managing Director
MSSK Ltd Ambikapur

माँ महामाया सहकारी शक्कर कारखाना मर्यादित्, अम्बिकापुर ग्राम-केरता
जिला-सूरजपुर (छ.ग.)

प्रेसमङ् ट्रेक्टर द्वारा ढुलाई हेतु निविदा वर्ष 2021-22

ई-निविदा प्रपत्र

ई-निविदा विज्ञप्ति क्रमांक 4740(05)

दिनांक 14/10/2021

ऑन लाईन ई-निविदा क्रमांक 85607

पेराई सत्र 2021-22 के लिए प्रेसमङ् ट्रेक्टर द्वारा हेण्डलिंग कार्य हेतु ई-निविदा
आंमत्रित की जाती है।

1	वाहन मालिक/फर्म का नाम	श्री/मेसर्स
2	फर्म का पता	:.....
3	निविदा फार्म का मूल्य	रुपये 1311.00 (एक हजार तीन सौ ब्यारह रुपये मात्र) वापसी योग्य नहीं है को http://eproc.cgstate.gov.in में जाकर ऑनलाईन पेमेन्ट करना होगा। जमा नहीं होने पर निविदा स्वीकार नहीं की जावेगी।
4	निविदा प्रपत्र विक्रय/जमा करने की तिथि एवं समय	दिनांक 15/10/2021 को साम 07.00 बजे से दिनांक 29/10/2021 को समय दोपहर 12.00 बजे तक को http://eproc.cgstate.gov.in में निर्धारित शुल्क जमा कर डाउनलोड कर सकते हैं।
5	निविदा खोलने की तिथि एवं समय	दिनांक 29/10/2021 को समय दोपहर 05.00 बजे के बाद

6. अमानत/ई.एम.डी. राशि - निविदाकार को निविदा फार्म के साथ ही निविदा में ई0एम0डी0 हेतु
राशि रुपये 60,000.00 (रुपये साठ हजार मात्र) कारखाने के खाते में (खाता नं 30185543714
भारतीय स्टेट बैंक, अम्बिकापुर, में RTGS No:- SBIN0000310) एवं (खाता क्रमांक
7258002100000030 पंजाब नेशनल बैंक पम्पापुर IFSC Code :- PUNB0725800) में माँ महामाया
सहकारी शक्कर कारखाना मर्यादित - अम्बिकापुर के नाम से जमा करनी होगी। RTGS/NEFT/TRANSFER
के माध्यम से ही ई.एम.डी. राशि जमा करना अनिवार्य होगा, ई.एम.डी. की राशि कारखाने के खाते में
जमा नहीं होने पर आपकी निविदा निरस्त की जाएगी। ई.एम.डी. राशि जमा की पावती को ई-निविदा
के भाग - 1 में संलग्न करना अनिवार्य होगा।

प्रबंध संचालक

माँ महामाया सहकारी शक्कर कारखाना
मर्यादित अम्बिकापुर ग्राम केरता



माँ महामाया सहकारी शक्कर कारखाना मर्यादित् अम्बिकापुर ग्राम-केरता

प्रेसमङ्ग ट्रैक्टर द्वारा ढुलाई हेतु ई-निविदा वर्ष 2021-22

1. पंजीकृत ठेकेदार/फर्म का नाम :.....
2. पता :.....
3. मोबाईल नं. :.....
4. ई-मेल आई.डी. :.....
5. जी.एस.टी. नम्बर
(छायाप्रति संलग्न करें) :.....
6. फर्म का पैनकार्ड नम्बर
(छायाप्रति संलग्न करें) :.....
7. लेबर ठेकेदारी पंजीयन क्रमांक :.....
(छायाप्रति संलग्न करें)
8. वैधता की तिथि :.....
9. बैंक का नाम :.....
10. खाता क्रमांक :.....
11. ई.एम.डी. जमा राशि : शब्दों में.....
12. यू.टी.आर. नम्बर :
13. कारखाने का बैंक एवं शाखा:
(जिसमें ई.एम.डी. जमा की गई है)



निविदाकार का नाम एवं हस्ताक्षर

—:: निविदा की शर्त ::—

ई-निविदा विज्ञप्ति क्रमांक 4740(05)

दिनांक 14/10/2021

1. निविदाकार को तकनीकी भाग-2 के साथ जी.एस.टी. रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र की छायाप्रति, पैन नम्बर की छायाप्रति, लेबर ठेकेदारी प्रमाण पत्र की छायाप्रति, ई.एम.डी. जमा की रसीद का छायाप्रति, एवं 02 वर्ष का आयकर रिटर्न का छायाप्रति अथवा 02 वर्ष का बैलेन्सशीट की छायाप्रति प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। (सहकारी समितियों को आयकर अथवा बैलेन्सशीट हेतु छुट दी जावेगी)
2. प्रेसमङ् को ड्रेक्टर द्वारा हेण्डलिंग कार्य हेतु सहकारी समितियों को प्राथमिकता दी जावेगी।
3. श्रम विभाग से पंजीकृत सहकारी समिति होना अनिवार्य है।
4. निविदाकार ठेकेदार का पंजीयन श्रम अधिनियम के अन्तर्गत श्रम विभाग से पंजीयन होना अनिवार्य है।
5. प्रेसमङ् को ड्रेक्टर द्वारा हेण्डलिंग कार्य 24 घण्टे का है इस कार्य हेतु 03 ड्रेक्टर स्वयं का या अनुबंधित होने पर स्टाम्प पेपर में अनुबंध पत्र एवं 03 ड्रेक्टरों का रजिस्ट्रेशन एवं बीमा संलग्न कर निविदा में प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
6. प्रेसमङ् को ड्रेक्टर द्वारा हेण्डलिंग कार्य हेतु ड्रेक्टरों में लगने वाला डीजल निविदाकार द्वारा उपलब्ध कराना होगा कारखाना से डीजल नहीं दी जावेगी।
7. तकनीकी भाग-2 में निविदा के शर्त अनुसार मांगे गये सभी डाक्यूमेन्ट को संलग्न कर प्रस्तुत किया जाना होगा एवं व्यावसायीक भाग-3 में दिये गये स्थान पर सिर्फ दर प्रस्तुत किया जाना होगा।
8. प्रेसमङ् को ड्रेक्टर द्वारा हेण्डलिंग कार्य का दर प्रति ड्रेक्टर प्रति दिवस, समस्त लेबर, समस्त कर सहित दिया जाना होगा एवं देयक भुगतान



- हेतु जी.एस.टी. देयक दिया जाना अनिवार्य होगा। एवं जी.एस.टी. समय पर भगतान किया जाना अनिवार्य होगा जिससे कारबाना को जी.एस.टी. का क्रेडिट लिया जा सके जी.एस.टी. का क्रेडिट नहीं मिलने पर ई.एम.डी. अथवा अन्य देयक राशि से कटौती की जायेगी।
9. प्रेसमड़ को हटाने के लिए लगाए गये मजदूरों का बीमा अनिवार्य है।
 10. प्रेसमड़ को नर्सरी में वॉच ठावर के पास चीफ इंजीनियर/चीफ केमिस्ट/C.D.O के बताये गये स्थान पर सुव्यवस्थित स्थान पर रखना होगा। उसके अलावा अन्य किसी स्थान या रास्ते में डाले जाने पर या गिर जाने पर 20,000 रुपये (बीस हजार) की राशि कटौती की जायेगी।
 11. प्रेसमड़ हैण्डलिंग कार्य में प्रत्येक पाली में मजदूर एवं ट्रैक्टर नहीं पाये जाने पर उस दिन का भुगतान नहीं किया जायेगा।
 12. प्रेसमड़ के लोडिंग की जगह प्रत्येक पाली में चार मजदुर रखना अनिवार्य होगा। जिनके द्वारा प्रति दिन नियमित रूप से लोडिंग एवं फ्लोर की नियमित रूप से सफाई करना अनिवार्य होगा। अगर उक्त जगह मजदुर साफ-सफाई नहीं होने पर उस दिन का राशि भुगतान नहीं किया जायेगा।
 13. प्रेसमड़ ट्रैक्टर/मजदूर की वजह से अगर ओवरफ्लो/जमी हुई प्रेसमड़ की वजह से वैक्युम फिल्टर बन्द हो जाने पर प्रति घण्टा 20,000 रुपये (बीस हजार) राशि कि कटौती की जायेगी।
 14. प्रेसमड़ हैण्डलिंग के लिए प्रत्येक पाली में 03 ट्रैक्टर और 03 ड्राईवर सहित रखना अनिवार्य होगा। नहीं पाये जाने पर उस दिन की राशि भुगतान नहीं किया जायेगा।
 15. आवश्यकता पड़ने पर लाईम ETP को पहुंचाने का कार्य करना आपको अनिवार्य होगा।



16. प्रेसमड हैण्डलिंग कार्य की देख-ऐख हेतु एक सुपरवाइजर रखना अनिवार्य होगा जिसको कार्य का रिपोर्टिंग केमिस्ट को देना अनिवार्य होगा।
17. प्रेसमड निर्धारित जगह पर अलग-अलग क्रमानुसार सुव्यवस्थित रूप से रखना अनिवार्य होगा। C.D.O के र्वीकृति के बाद ही बिल का भुगतान किया जायेगा।
18. निर्धारित स्थान पर आवश्यकतानुसार प्रेसमड को व्यवस्थित रूप से रखने हेतु प्रत्येक पाली में आवश्यकतानुसार मजदूर रखना अनिवार्य होगा।
19. अपने मजदूरों की सुरक्षा हेतु आवश्यक सामग्री एवं सुरक्षा उपकरण उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा।
20. प्रत्येक मजदूर को हेलमेट, सेफ्टी शुज, गॉगल, युनिफार्म, मास्क एवं ठेकेदार के साईंन सहित पहचान पत्र उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा।
21. प्रेसमड प्रत्येक पाली प्रतिदिन के अनुसार अपने मजदूरों को हाजरी का मार्टर अपने सुपरवाइजर द्वारा रखना अनिवार्य होगा। जिसमें प्रति पाली प्रति दिन लैब इंचार्ज/शिप्ट केमिस्ट/लैब इंचार्ज का साईंन कराना अनिवार्य होगा। जिसके आधार पर बिल का भुगतान किया जायेगा।
22. किसी भी प्रकार का वाद की स्थिति में सक्षम न्यायालय (सहकारिता विभाग) में ही सुनवाई/वाद दायर किया जा सकेगा।
23. अध्यक्ष/क्रय विक्रय समिति/प्रबंध संचालक को यह अधिकार होगा कि वह किसी भी शर्त को विलोपित करने मात्रा घटाने बढ़ाने, निविदा निरस्त करने एवं कायदिश निरस्त करने सम्बंधि पूर्ण अधिकार होगा।



निविदाकार ठेकेदार/फर्म का नाम एवं हस्ताक्षर

सत्यनिष्ठा वचन पत्र

मैं.....फर्म.....
 प्रतिनिधि का नाम.....पिता का नाम
फर्म का पता.....
मैं शपथ पुर्वक कथन करता हूँ कि

1. मेरे द्वारा कोड किया गया दर व्यून्टम है एवं इससे कम दर पर कार्य नहीं करूँगा।
2. मेरे द्वारा कोड कि गई सामाग्री/कार्य का व्यापार किया जाता है जिसकी समस्त जानकारी मुझे है।
3. मुझे पूर्व कायदिशों की सामाग्री/कार्य सही समय में एवं गुणवत्ता के अनुसार पूर्ण की गई है।
4. मैंने निविदा में भाग लेने या कार्य आदेश प्राप्त करने के उद्देश्य से संस्था के किसी कर्मचारी/अधिकारी से कोई सम्पर्क नहीं किया है और नहीं कोई अनुचित व्यावहार किया है जिससे अनुचित लाभ प्राप्त हो।
5. मैंने अपना दर प्रस्तुत किया है ई.एम.डी. राशि रूपये कारखाना के खाता क्रमांकमें राशि रूपये.....दिनांक.....को. संस्था के पक्ष में जमा किया है यदि मेरे द्वारा दी गई किसी भी प्रकार की जानकारी असत्य पाई जाती है अथवा कार्य में विलम्ब किया जाता है या सही गुणवत्ता का नहीं पाया जाता है तो समस्त ई०एम०डी० राशि संस्था के पक्ष में जप्त करने हेतु अधिकृत करता हूँ।



निविदाकार का हस्ताक्षर